

Order Sheet [Contd]

Case No.of 20

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders Where
Necessary

24.10.2024

आज दिनांक को न्याया० श्री सचिन शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नागौद के न्यायालय से आपराधिक अपील कं...../2024 आदेश 24.10.2024 प्राप्त।

आदेश का अवलोकन किया गया।

आदेश के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपीगण निखिल अहिरवार, भइयन अहिरवार, श्रीमती सीमा अहिरवार द्वारा 50,000-00/50,000.00 (पचास-पचास हजार रुपये) की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका पेश करने पर इस शर्त के साथ कि अपील न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित रहे का पेश किया जावे तो अपीलार्थी को दी गयी कारावास की सजा के दंडादेश का क्रियान्वयन दाण्डिक अपील के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया जाये।

प्रकरण जमानत मुचलके प्रस्तुत करने हेतु कुछ देर पश्चात् पेश हो।

(शिमोना सिंह कुलहारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नागौद, जिला-सतना म.प्र.

पुनश्च:-

आदेशानुसार आरोपीगण निखिल अहिरवार, भइयन अहिरवार, श्रीमती सीमा अहिरवार द्वारा 50,000-00/50,000.00 (पचास-पचास हजार रुपये) की सक्षम जमानत जमानतदार हजारीलाल कुम्हार पिता विसुन्था कुम्हार उम्र 70 वर्ष पेशा कृषि, निवासी खम्हरिया, थाना व तहसील नागौद जिला सतना म०प्र० द्वारा भू ऋण पुस्तिका क्रमांक एल क्रमांक के 908364 पर ली गई। एवं इतनी ही राशि स्वयं का मुचलका पेश किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गई।

(श्रीमती शिमोना सिंह कुलहारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला सतना (म.प्र.)

निखिल
भइयन
श्रीमती सीमा

Order or proceeding With Signature of Presiding Officer

आरोपीगण को जमानत पर रिहा किया गया।
जमानतदार की पहचान अधि० शैलेश तिवारी द्वारा की गई।
दंडादेश स्थगन पत्रावली अपीलीय न्यायालय को भेजा जावे।
प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 17.12.2024 को पेश हो।

(शिमोना सिंह कुल्हारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नागौद, जिला-सतना म.प्र.

निरा

नि.उ.म.

नि.उ.सि.

नि.उ.सि.

जमानतदार

की पहचान

के। (शिमोना सिंह)

24.10.24